पेंशन पुस्तिका

प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा का कार्यालय

80 अण्णा सालै
चेन्नई – 600002

विषय सूची

1. पेंशन के लिए पात्रता
2. पेंशन परिकलन
3. परिवर्तन राशि
4. उपदान
5. परिवार पेंशन
6. परिवार पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्य
7. महंगाई भत्ता
8. पेंशनरों द्वारा ध्यान देने योग्य आवश्यक सूचना
9. अधिवार्षिता से पहले ध्यान देने योग्य बातें
10. मासिक पेंशन के संगणन का तरीका ।

अधिवार्षिता के समय किसी व्यक्ति को देय जो पेंशन और अन्य उपदान से संबंधित सूचना व विवरण नीचे दिए गए हैं :

अधिवार्षिता के समय पर लाभ :
पेंशन, परिवर्तन की कुल राशि, उपदान, भविष्य निधि, छुट्टी परिवर्तन राशि।

पेंशन के लिए पात्रता :

जब एक व्यक्ति 60 साल पूरा करता है तो उसको अधिवार्षिता दी जाती है। पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए । अगर एक व्यक्ति की सेवा काल 9 साल और 9 महीने हैं, तो इसको भी 10 साल माना जाएगा ।

अधिवर्षिता के वक्त उस व्यक्ति के खिलाफ कोई लंबित अनुशासनिक कार्रवाई या कोर्ट मामले नहीं होना चाहिए । अगर ऐसे लंबित मामले हैं, तो वह अस्थाई पेंशन के लिए ही पात्र होगा ।

पेंशन परिकलन का तरीका :

सेवानिवृत्त होने के तुरंत पहले आनेवाले 10 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% या सेवानिवृत्ति के दिन के मूल वेतन का 50% उपर्युक्त दोनों में से जो भी ज़्यादा लाभप्रद है उसको पेंशन नियत किया जाएगा ।

i. उपर्युक्त तरीका अधिवार्षिता प्राप्त लोगों के लिए ही लागू है ।

ii. अगर एक व्यक्ति ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, तो उसकी पेंशन का समानुपाती परिकलन तभी किया जाएगा जब उसका सेवा काल 10 साल से ज्यादा और 20 साल से कम हो ।

iii. अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनेवाले व्यक्ति का 20 साल या उससे ज्यादा सेवाकाल है तो उसको पूरा पेंशन दिया जाएगा यानि मूल वेतन का 50% पूरा उसको दिया जाएगा ।

उदाहरण:

एक व्यक्ति 30.09.2010 को सेवानिवृत्त हो रहा है । उसका सेवाकाल 25 साल है। सेवानिवृत्ति के समय उसका मूल वेतन रु.30070/– है । अगर उसका 10 महीने का औसत मूल वेतन रु.29980/– है तो उसके पेंशन का परिकलन कैसे किया जाएगा ?

पेंशन = मूल वेतन **X** 50%
= 30070 **X** **50%** = रु.15035

पेंशन = **10** महीने का औसत मूल वेतन **X 50%**
= **29980 X 50 %** = रु. **14990/-**

उसका पेंशन रु. **15035/-** नियत किया जाएगा ।

संराशीकरण राशि:

एक व्यक्ति अपनी पेंशन राशि के अधिकतम 40% तक सरकार को दे सकता है उसकी समानक का एक कुल राशि का आहरण कर सकता है । पेंशन का 40% देने को तैयार है तो कुल परिवर्तन राशि होगी

4000 X 12 X 8.194 = 3,93,312/-

उसका पेंशन है रु.10,000/– ?

इसलिए वह तीन लाख तिरानवे हज़ार और बारह रुपए की कुल राशि के लिए पात्र है ।

अगर एक कर्मचारी 15 साल के लिए संराशीकृत पेंशन प्राप्त किया तो उनके पेंशन से उस राशि को कटौती कर देंगे और बाकी को हर महीने के लिए पेंशन के रूप में देंगें ।

उदाहरणः :

एक कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख 30.06.2012 है । एनके कुल पेंशन राशि रु.10,000/– व संराशि 40 % प्राप्त करने की तारीख 5/7/2010 उनके दवारा संराशीकृत की गई राशि रु.4,000 कब तक प्राप्त होगी ।

पेंशन :	रु.10,000
संराशीकरण :	4,000
बाकी राशि	6,000

उनको 1/7/2010 से 30/6/2025 तक रु.6,000 राशि पेंशन के रूप में मिलेगी लेकिन उनको रु.10,000 राशि के लिए मंहगाई भत्ता मिलेगा । उनके दवारा संराशीकृत रु.4,000 उनके पेंशन में 1/7/2025 से जोडा जाएगा ।

उपदान : कर्मचारी के सेवाकाल के आधार पर नकद के रूप में उपदान दिया जाएगा ।

अधिकतम उपदान रु.10,00,000; (दस लाख) दिये जा सकते हैं। न्यूनतम राशि उपदान में नहीं है ।

कर्मचारी के उपदान में लिए परिकलन करते समय कर्मचारी के सेवाकाल 33 वर्ष के उपर होने से भी 33 वर्ष को ही लिया जाएगा ।

उपदान परिकलित करने का तरीका:

[मूल वेतन + मंहगाई भत्ता] X सेवा काल की संख्या x 2
4

उदाहरण:

कर्मचारी की सेवा निवृत्ति ता. 31/12/2010 को है । उनका मूलवेतन रु.20,000 – महंगाई भत्ता 1/10/2010 से 39.8% उनके सेवाकाल 36 वर्ष है । उनका उपदान क्या है ।

उनकी नियुक्ति की तारीख 5 मई 1978 को है ।

(20000 + 7960) = 27960 X 33X2 = 4,61,340
4

उनके उपदान 39.8 % मूल के आधार पर परिकलन किया गया है । उनका परिकलन किये गये सेवाकाल 33 वर्ष के उपर होने पर भी इसको 33 वर्ष माना जाएगा । मंहगाई भत्ता आई डी ए दर पर परिकलन किया जाएगा ।

किये गए कार्य के लिए कार्यालय से कोई भी राशि बाकी है तो उसकी कटौती के बाद शेष राशि उनको उपदान के रूप में दिया जाएगा ।

अगर वे विभागीय आवास गृह में रहते हैं तो 10% उपदान की कटौती की जाएगी , वे कब अपने आवास गृह का परिवर्तन क्वार्टस से करता है उनके घर परिवर्तन सूचना मिलते ही कटौती राशि उनको भुंगतान की जाएगी ।

परिवार पेंशन

अगर कर्मचारी अपने सेवाकाल में मर जाते तो, मरने के बाद उनकी पत्नी / पति को 10 साल तक अद्यतन पेंशन दिया जाएगा । कर्मचारी न्यूनतम 7 साल सेवा पूरा करने से अद्यतन पेंशन के योग्य हैं ।

अद्यतन पेंशन के परिकलन

मूल वेतन में 50% अथवा सामान्य परिवार पेंशन का दुगुना उन दोनों में से कौन सा कम है उसको अद्यतन पेंशन के लिए लिया जाएगा ।

सामान्य परिवार पेंशन

मूल वेतन का 30% सामान्य परिवार पेंशन के रूप में दिया जाता है । वर्तमान पेंशन नियमानुसार न्यूनतम पारिवारिक पेंशन रु.3500/– (सी डी ए) के तौर पर दिया जाता है ।

अधिवर्षिता के बाद किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन उसके मरने के अगले दिन से सात साल तक दिया जाता है या यदि वह जीवित है तो उसके 67 वर्ष पूरा करने तक दिया जाता है, उपर्युक्त दोनों में से जो भी अवधि पूर्वतर है । सामान्य पारिवारिक पेंशन इसके बाद दिया जाएगा ।

पारिवारिक पेंशन के लिए योग्यता :

(i) पति/पत्नी

(ii) पुत्र / पुत्री उसके 25 वर्ष होने तक या उसको रोजगार मिलने या उसकी शादी होने तक या उल्लिखित अवधि में

जो भी पहले हो, उसके अनुसार वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हैं ।

(iii) गोद लिया गया पुत्र / पुत्री

(iv) विशिष्ट क्षमता से युक्त पुत्र/पुत्री – आजीवन योग्यता

(v) विधवा / विदुर/अविवाहित लडकी

(vi) पूर्णतया पेंशन पर निर्भर माता–पिता ।

(vii) अधिवर्षिता के बाद अगर कर्मचारी विवाह कर ले तो पत्नी/पति/बच्चे

महंगाई भत्ता

जिस प्रकार से कर्मचारी को सेवा के मॅहगाई भत्ता मिलता है उसी प्रकार पेंशन में भी मॅहगाई भत्ता मिलेगा । बी एस एन एल के कर्मचारियों संराशिकरण, उपदान,पेंशन,भविष्यनिधि और अन्य राशि दूरसंचार विभाग से दिया जाता है । इसके अलावा अवकाश वेतन, बीमा आदि भी बी एस एन एल कार्यालय द्‌वारा भुगतान किया जाएगा ।

पेंशन के महत्वपूर्ण अनुदेश

(i) अधिवर्षिता प्राप्त होने के बाद कोई भी कर्मचारी उसके पेंशन प्राप्त करने की जगह का चयन कर सकता है ।
(पोस्ट आफिस में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में)

(ii) कर्मचारी को चयनित बैंक में या पोस्ट आफिस में पेंशन के लिए विशिष्ट बचत खाता खोलना चाहिए । बेहतर है कि इस बचत खाते में दूसरे व्यय व अन्य आय का संचालन न करें ।

(iii) आपके पेंशन आदेश भेजे जाने की सूचना मिलने पर डाक घर या बैंक में आप संबंधित डाकघर या बैंक को संपर्क कर सकते हैं ।

(iv) आपको डाकघर या बैंक कर्मचारी से पेंशन पुस्तिका तुरंत प्राप्त करना होगा । यह पुस्तिका आपकी संपत्ति होगी ।

(v) सभी परिस्थितियों में आपकी पेंशन पुस्तिका को सुरक्षित रखें ।

(vi) आपके जीवन प्रमाण–पत्र को संबंधित बैंक या डाक–घर को हर वर्ष नवंबर महीने में सौंपा जाना चाहिए ।

(vii) प्रति माह आपके बचत खाते में आपका पेंशन जमा किया गया है, यह अवश्य सुनिश्चित कर लें ।

(viii) पेंशन खाते की जांच करते समय पेंशन की राशि यदि कम या अधिक पाया जाए तो आप इसकी सूचना संबंधित डाक–घर अथवा बैंक कर्मचारी को दें ।

(ix) आपको दूरसंचार विभाग को भेजे जानेवाले सभी आवेदनों में आपके पेंशन नंबर, अधिवर्षिता की तारीख और वर्तमान पते को सूचित करना चाहिए ।

(x) जब कभी भी आपके पते में परिवर्तन हो तो परिवर्तित पते को दूरसंचार विभाग या आपके बी एस एन एल कार्यालय को बिना चूके सूचित करना चाहिए ।

(xi) आपकी पेंशन प्राप्ति की जगह बैंक से डाक–घर को अथवा डाक–घर से बैंक को परिवर्तन करने की सुविधा है ।

एक बैंक से अन्य बैंक को या एक डाक–घर से दूसरे डाक–घर को परिवर्तन करने की सुविधा भी उपलब्ध है । देशभर के किसी भी राज्य में जगह परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध है ।

जब परिवर्तन किया जा रहा हो तो संबंधित पेंशन पुस्तिका व सभी दस्तावेजों का रख–रखाव सी सी ए कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

यद्यपि परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध है तो भी अक्सर परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

मासिक पेंशन परिकलन का तरीका

उदाहरण :

कोई व्यक्ति 30.11.2010 को अधिवार्षिता प्राप्त करता है । उसका पेंशन रु10,000/– है । उसका संराशिकरण रु.4000/– है । महंगाई भत्ता 30.11.2010 को 39.8% होगा । उसके पेंशन खाते में 31.12.2010 को जमा राशि क्या होगी ?

पेंशन	=	रु.10,000
मं.भ.	=	रु. 3,930
कुल	=	रु.13,980

संराशिकरण	=	रु. 4,000
	=	रु. 9,980

उसके खाते में जमा की गई राशि रु. 9,980 होगी। जब कभी महंगाई भत्ते में परिवर्तन होगा, पेंशन में भी परिवर्तन होगा ।